29.1.2021	वकील फरीकैन उपस्थित। पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील हस्ब कीग दावा रहे।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.02.19 10:21:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी करौली

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्र सिंह परमार, आर.ए.एस.

मु0नं0 28/08	आर.सी.एम.एस 2008/00049	तारीख रजू 11.03.08

भजन पुत्र सुई उर्फ सुआराम उम्र 59 साल जाति हरिजन निवासी गणेश गेट बाहर करौली तह0व जिला करौली राज0 – मृतक

1/1 श्यामलाल पिसरान (सभी जाति हरिजन (भंगी)
1/2 अमृतलाल भजन (निवासी गणेश गेट बाहर हरिजन वस्ती)
1/3 आशा पुत्री भजन (तहसील व जिला करौली
1/4 गुडडी पुत्री भजन
1/5 अंगूरी वेवा भजन
सभी जाति हरिजन (भंगी) निवासी गणेश गेट बाहर हरिजन बस्ती तहसील करौली जिला करौली नाम हजफ

–सायलान

बनाम

1. रमेश चन्द पुत्र सुइ उर्फ सुआराम आयु 50 साल जाति हरिजन (भंगी) निवासी गणेश गेट बाहर हरिजन बस्ती तहसील करौली जिला करौली।
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार करौली जिला करौली।

– गैरसायलान

प्रार्थना पत्र धारा 212 आर0टी0एक्ट

:निर्णय:

दिनांक: 29.1.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सायलान ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी खसरा नम्बर 6901 रकबा 17 विस्बा ख0न0 6902 कुल किता 2 कुल रकवा 2 वीघा 13 विस्वा कस्वा करौली वादी एवं प्रतिवादी न01 के पिता सुई उर्फ सुआराम पुत्र काना जाति हरिजन निवासी करौली के खातेदारी व कब्जे काश्त की रही जिसकी खतौनी बन्दोवस्त सम्बत 2015 में खातेदारी इन्द्राज सायल व गैरसायलान न01 के पिता सुई के हक में रहे है और सम्बत 2027 से 2030 की जमाबन्दी में सुई के हक में जमाबन्दी इन्द्राज रहे है। गैरसायलान न01 द्वारा यह स्वीकृत तथ्य है कि सायल व गैर सायल रमेशचन्द खास भाई है सुई उर्फ सुआ के पुत्र ... में सायल व गैरसायल न0 1 का समान हक हिस्सा 1/2 ,1/2 है। ... गैरसायल को बिना सुनवाई का अवसर व नोटिस दिये सुई की खातेदारी को ... पर अनाधिकार तौर पर रमेश के हक में खातेदारी इन्द्राज कर दिये है ... न01 गैरसायल न02 से मिलकर अपने नाम के खातेदारी इन्द्राज करा लिये है नामान्तकरण सख्या 295 दिनांक 14.07.1991

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.02.19 10:21:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बिना आधार है विधि विरूद्व है शून्य है और प्रभावहीन है। सायल 1/2 हिस्से की धोषणा खातेदारी कराने का अधिकारी है। गैर सायल के दिल में वदनीयति आ गयी है और गलत खातेदारी इन्द्राज के आधार पर सायल के हक हिस्से 1/2 भूमि को दीगर व्यक्तियों को हस्तान्तरण करने की दिनांक 19.02.2008 के दिवस ऐलानिया सायल कहा है। सायल के मना करने पर आमादा है। गैरसायल न02 गैरसायल न01 के प्रभाव में है यदि गैरसायल ने सायला के हक हकुक हिस्से की आराजी को हस्तान्तरण कर दिया तो हक हकुक सायल पर भारी आधात होना सायला को अपूर्णीयक्षति भारी असुविधा होगीएवं वेवजह मुकदमें बाजी में फसना पडेगा। इसलिए सायल गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला वादपत्र पाबन्द कराने का अधिकारी है। अन्त में प्रार्थना पत्र सायल स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र सायल दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया ।

गैरसायल न01 ने उपस्थित होकर जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि दावा सायल लाचर व कमजोर है गैरसायल रिकार्डेड खातेदार है वकील वादी उसके अन्य भाई वहिन जरूरी फरीक तक नही बनाये है सायल कभी जमीनों पर काविज नही रहा है। सादे तथ्य जबाव दावा में दर्ज कर दिये है जो इस जववा का अंग समझे जावें। सायल के कोई हक हकुक मुतनाजा जमीन मे नही है सायल कभी काविज नही रहा है।

कानाराम सुआ की जायदाद पर सायल काविज नही रहा है। सायल किसी प्रकार के इन्द्राज कराने व धोषणा कराने का अधिकारी नही है। गैरसायल लगातार वाहिद खातेदार काश्तकार काविज है जिसकी जानकारी सायल को है गैरसायल अकेला वाहिद 37 सालों से जमीन को जोत वो रहा है आज तक गैर सायल हकुक व कब्जा को चैलेन्ज नही किया गया है। सायल का कोई हक 1/2 नही है। सायल रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है सायल को बटवारे का हक नही है। अन्त में प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमावन्दी सम्वत 2027 के 2030 में भूमि सुई पुत्र कानाराम जाति (भंगी) हरिजन निवासी करौली के नाम दर्ज है। जिससे वादग्रस्त आराजी गैरसायल न01 के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड होना सावित है। सायल के हक में प्राईमाफेसी केश सावित नही होता है तथा सायल ने सुई के अन्य पुत्र व पुत्रियों को दावा में पक्षकार नही बनाया है जो दावा में आवश्यक फरीक है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र सायल चलने योग्य नही है।

प्रार्थना पत्र सायल विरूद्व गैर सायलान खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.02.19 10:21:51 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र सिंह पंवार)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Scanned with CamScanner